/

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 04/10/2023

क्रमांक F-3-1/2021/10-1:: विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.07.2021 द्वारा श्री विनोद कुमार अवस्थी, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी रीवा, सामान्य वनमण्डल रीवा से स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी छतरपुर, सामन्य वनमण्डल छतरपुर पदस्थ किया गया। उक्त आदेश जारी करने के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि श्री अवस्थी के विरूद्ध इनकी पूर्व छतरपुर पदस्थिति के समय के 03 लोकायुक्त जाँच प्रकरण प्रचलित हैं एवं श्री अवस्थी की पुनः पदस्थिति से लोकायुक्त जाँच प्रकरणों को प्रभावित होने की संभावना के कारण विभाग के आदेश दिनांक 06.08.2021 द्वारा आदेश दिनांक 06.07.2021 द्वारा की गई पदस्थापना को निरस्त किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 06.08.2021 के विरूद्ध श्री अवस्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका कमांक 14823/2021में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2021 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 06.08.2021 में स्थगन दिये जाने के कारण श्री अवस्थी परिक्षेत्र अधिकारी, छतरपुर, सा.वनमण्डल छतरपुर में पदस्थ हैं।

2/ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका पर सुनवाई उपरांत दिनांक 07.07.2023 को निम्नानुसार अंतिम निर्णय पारित किया:-

1. In view of the aforesaid, without expressing any opinion on merits of the case, the petition stands disposed of with a direction that if the petitioner prefers a representation afresh assailing the order dated 06.08.2021 (AnnexureP/3) within a period of 15 days from today before the respondent No. 1, the respondent No.1 in turn, shall take a decision thereon, within a further period of 60 days by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law.
2. If representation in terms of this order is not submitted by the petitioner within a period of 15 days from today, this order shall lose its efficacy automatically.
3. Till decision by the respondent no.1 on the representation of the petitioner, interlocutor order dated 12.08.2021 shall remain in force.
4. It is reiterated that this Court has not expressed any opinion on merits of the case and the respondent concerned in his own wisdom shall be at liberty to deal with the representation in accordance with law.

अ.प्र.मु.व.सं. (सूचना प्रौद्योगिकी) मध्य प्रदेश, भोपाल

3/ मान, उच्च न्यायालय व्दारा पारित आदेश के परिपालन में श्री विनोद कुमार अवस्थी, वनक्षेत्रपाल व्दारा दिनांक 17.07.2023 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत उचित आदेश प्रसारित करने का अनुरोध किया है:-

वन विभाग के आदेश दिनांक 06.07.2021 द्वारा उन्हें परिक्षेत्र अधिकारी रीवा सामान्य वनमण्डल रीवा से वन परिक्षेत्र अधिकारी छतरपुर, सामान्य वनमण्डल छतरपुर तथा उनके स्थान अर्थात परिक्षेत्र अधिकारी रीवा, सामान्य वनमण्डल रीवा में श्री संतोष कुमार संत, वनक्षेत्रपाल की पदस्थिति की गई। तत्पश्चात् शासनादेश दिनांक 06.08.2021 व्दारा उनका स्थानांतरण आदेश दिनांक 06.07.2021 को निरस्त किया गया।

चूँकि वन परिक्षेत्र रीवा में श्री संतोष कुमार संत की पदस्थिति के कारण परिक्षेत्र रीवा रिक्त नहीं होने से उनके व्दारा मान. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप मान, न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 06.08.2021 पर स्थगन आदेश पारित किया गया जिससे वे परिक्षेत्र अधिकारी छतरपुर की हैसियत से कार्य का निर्वहन कर रहे हैं।

यह कि 07 जुलाई, 2023 को मान उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा स्थगन पर अभ्योवदन देने हेतु निर्देशित किया गया है। चूँकि परिक्षेत्र रीवा में पहले जैसे स्थिति आज भी बनी हुई है। उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उचित आदेश प्रसारित करने का अनुरोध किया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023 के पालन में श्री अवस्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 17.07.2023 का निराकरण करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विनोद कुमार अवस्थी, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी छतरपुर, सामन्य वनमण्डल छतरपुर से प्रशासकीय दृष्टि से स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा सालेटेकरी परिक्षेत्र, उत्तर बालाघाट (उत्पादन) वनमण्डल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4/10
(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 क्रमांकः F-3-1/2021/Sec-1-10, भोपाल दिनांक 04/10/2023

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल की ओर बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी........................द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।

7. स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
8. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
9. संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
10. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग